न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग(भरतपुर)

प्र0सं0 11/2022 (जी.सी.एम.एस.नम्बरः 2022/470) व इजलासः– हेमन्त कुमार (R.A.S)

उनवान

1. दीपसिंह
2. हरीसिंह
3. नेतराम

} पुत्रगण पतराम जाति जाट निवासी नगला चाहर तहसील डीग(भरतपुर)राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील डीग (भरतपुर) राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 20.12.2022

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र **अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट,** इस आशय का पेश किया गया है कि आराजी खसरा नम्बरान 1116/0.15, 1147/0.12, 1161/0.28, 1162/0.38,1188/0.22, 1217/0.38, 1218/0.12, किता 7 रकबा 1.65 व आराजी खसरा नम्बरान 1674/0.02, 1675/1.69, 1681/3053/2.41, किता 3 रकबा 4.12 हैक्टे0 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 2110/0.49, 2114/0.19, 2115/0.14, किता 3 रकबा 0.82 हैक्टे0 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित है। उक्त आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता का नाम पतरे चल रहा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम पतराम है। प्रार्थीगण के सभी दस्तावेजात व अन्य आराजीयात कस्बा डीग द्वितीय के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम पतराम दर्ज रिकार्ड है।

अतः निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बरान 1116/0.15, 1147/0.12, 1161/0.28, 1162/0.38,1188/0.22, 1217/0.38, 1218/0.12, किता 7 रकबा 1.65 व आराजी खसरा नम्बरान 1674/0.02, 1675/1.69, 1681/3053/2.41, किता 3 रकबा 4.12 हैक्टे0 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग **तथा** आराजी खसरा नम्बरान 2110/0.49, 2114/0.19, 2115/0.14, किता 3 रकबा 0.82 हैक्टे0 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता का नाम पतरे के स्थान पर पतराम दर्ज किये जाने के आदेश फरमायें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण **अन्तर्गत धारा 136** एल.आर.एक्ट, को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित अप्रार्थी/तहसीलदार डीग को जरिये नोटिस तलब कर रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार डीग ने पत्रांकः एलआर/2022/3956 दिनांक 02.11.2022 के द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट में अंकित है कि " वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग की जमाबन्दी खाता संख्या 217, 88 तथा वाके ग्राम अऊ तहसील डीग की जमाबन्दी खाता संख्या 231 में दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 पतरे जाति जाट सा0 नगला चाहर खातेदार है। ग्राम नगला चाहर तहसील डीग में जॉच किये जाने पर उपस्थित गॉव वालों ने वताया कि प्रार्थीगण दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 पतरे के स्थान पर दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 पतराम है।

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by AnyScanner

प्रार्थीगण की आराजीयात में वर्णित प्रार्थीगण के पिता का नाम पतरे के स्थान पर पतराम किया जाना उचित है।''

उक्तानुसार सम्बन्धित प्रार्थीगण के प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों व अप्रार्थी/तहसीलदार डीग द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कहा कि वर्णित आराजीयात में प्रार्थीगण के पिता का नाम पतरे के स्थान पर पतराम किये जाने की आज्ञा फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड तहसीलदार डीग से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन व वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। आराजी खसरा नम्बरान 1116/0.15, 1147/0.12, 1161/0.28, 1162/0.38,1188/0.22, 1217/0.38, 1218/0.12, किता–7 रकबा 1.65 व आराजी खसरा नम्बरान 1674/0.02, 1675/1.69, 1681/3053/2.41, किता–3 रकबा 4.12 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 2110/0.49, 2114/0.19, 2115/0.14, किता–3 रकबा 0.82 हैक्टे0 वाके ग्राम अऊ तहसील डीग में स्थित आराजीयात में हम प्रार्थीगण दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 **पतरे** के स्थान पर दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 पतराम जाति जाट नि0 नगला चाहर तहसील डीग दुरूस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट, स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बरान 1116/0.15, 1147/0.12, 1161/0.28, 1162/0.38,1188/0.22, 1217/0.38, 1218/0.12, किता–7, रकबा 1.65 व आराजी खसरा नम्बरान 1674/0.02, 1675/1.69, 1681/3053/2.41, किता–3, रकबा 4.12 हैक्टे0 हैक्टेयर वाके ग्राम नगला चाहर तहसील डीग तथा आराजी खसरा नम्बरान 2110/0.49, 2114/0.19, 2115/0.14, किता–3, रकबा 0.82 हैक्टे0 **वाके ग्राम अऊ** तहसील डीग में स्थित आराजी में वर्णित दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 **पतरे** के स्थान पर दीपसिंह, नेतराम, हरीसिंह पिस0 **पतराम** जाति जाट नि0 **नगला चाहर** तहसील डीग दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमल दरामद हेतु निर्णय प्रति तहसीलदार डीग को भिजवाई जावे।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग(भरतपुर)

Scanned by AnyScanner